न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म.प्र.)

दादूलाल हलवाई तनय शारदा प्रसाद हलवाई निवासी ग्राम कटरा बाजार मैहर तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.) ....निगरानी कर्ता

बनाम

1–शासन म.प्र. द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल मैहर तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.)

2–नन्दकिशोर गुप्ता तनय बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम कटरा बाजार मैहर तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.)

3–बृजबिहारी हलवाई तनय शारदा प्रसाद हलवाई निवासी ग्राम कटरा बाजार मैहर तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र.)

.............गैरनिगराकार गण

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल मैहर जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.16 प्रकरण कमांक 86अ12/15–16 मे आदेश फर्जी सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है–

1– यह कि प्रस्तुत निगरानी का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा कमांक 156 रकवा 0.042 हे. भूमि हनुमान टोला मैहर देवी जी रोड के अन्दर उत्तर दिशा मे लगी हुई भूमि निगराकार एवं गैर निगराकार कमांक 3 अवध बिहारी के सह हिस्से एवं स्वत्व की भूमि है निगराकार एवं गैर निगराकार कमांक 3 सगे भाई है। आपस मे बटबारा कर अपने–अपने हिस्से मे प्राप्त भूमियो मे मौके से काबिज है तथा राजस्व अभिलेख मे भूमि खसरा कमांक 156 का उपखण्ड होकर 156/1 एवं 156/2 निर्मित है किन्तु नक्शे मे अभी तक तरमीम नही है। 156/2 गैरनिगराकर कमांक 3 एवं 156/1 निगराकार के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। निगराकार के भाग दर्ज भूमि खसरा कमांक 156/2 पश्चिम दिशा की ओर एवं गैरनिगराकार कमांक 3 के हिस्से मे दर्ज भूमि खसरा कमांक 156/1 उत्तर दिशा की ओर है। तथा आपस मे हिस्सा बाट कर काबिज है। दोनो भाइयों के बीच कोई विवाद नही था। आपस मे दोनो भाई मिलकर भूमि खसरा कमांक 156 का सीमांकन जरिये प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5057–दो/2017/ निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त मैहर तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 86 अ–12/15–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–5–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा राजस्व निरीक्षक मेहर के आदेश दिनांक 28–5–16 का अवलोकन किया गया। 3/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों को सही मानकर यदि मामले में गुणदोष पर विचार किया जावे, हलका पटवारी ने अनावेदक 3 की ग्राम मेहर की आराजी क्रमांक 156/2 का दिनांक 20–4–2016 को सीमांकन किया है तथा आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 28–5–16 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होना बताया है । यदि अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब आवेदक स्वयं की भूमि का सीमांकन आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 28–5–16 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	